विहंगावलोकन

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की यह रिपोर्ट भारत सरकार के नौ वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों के लेन देन का अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले मामलों से संबंधित है। रिपोर्ट में आठ अध्याय हैं। अध्याय I इस रिपोर्ट को तैयार करने के उद्देश्य को स्पष्ट करने के अलावा, लेखापरीक्षा क्षेत्र और कार्यप्रणाली को परिभाषित करता है तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष और टिप्पणियों का भी एक सारांश प्रदान करता है। अध्याय II से VIII वैज्ञानिक और पर्यावरण मंत्रालयों/विभागों और उनके अधीन अनुसंधान केन्द्रों, संस्थानों और स्वायत्त निकायों का अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न विस्तृत निष्कर्ष/टिप्पणियों प्रस्तुत करते हैं।

वर्तमान रिपोर्ट में हाइलाइट किए गए चिंता की महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नलिखित व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत डाला गया है:

- अक्षम परियोजना प्रबंधन;
- खरीद और अनुबंध प्रबंधन में कमजोरियां;
- आवश्यक मंजूरी के बिना कर्मचारियों को वित्तीय लाभ बढ़ाया गया; तथा
- आंतरिक नियंत्रण में कमी

इस रिपोर्ट में शामिल विशिष्ट ऑडिट के निष्कर्षों का अवलोकन नीचे दिया गया है:

अक्षम परियोजना प्रबंधन

एडुसैट उपयोगिता कार्यक्रम

सितंबर 2004 में अंतरिक्ष विभाग (डॉस) द्वारा प्रक्षेपित एडुसैट, भारत के दूरदराज क्षेत्रों में दूरस्थ शिक्षा सेवा प्रदान करने के लिए शैक्षिक सेवाओं के लिए विशेष रूप से समर्पित भारत का प्रथम विषयगत उपग्रह था। कुल निवेश ₹ 549.09 करोड़ का था, जिसमें अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण पर प्रत्यक्ष निवेश ₹ 282.76 करोड़ और इसके अलावा ग्राउंड नेटवर्क की स्थापना पर ₹ 266.33 करोड़ रुपये का व्यय था।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि एडुसेट नेटवर्क संचालन, सामग्री उत्पादन योजना में कमी तथा मजबेत प्रबन्ध संरचना में कमी के कारण सफल नहीं हो सका। कार्यक्रम के वास्तविक क्रियान्वयन

में कमियाँ थी जैसे कि ग्राउंड नेटवर्क की स्थापना में देरी, नेटवर्क संचालन में निष्क्रियता, आवंटन में असमानता और उपग्रह बैंडविड्थ की निष्क्रियता, अपर्याप्त सामग्री उत्पादन और निगरानी तथा मूल्यांकन में कमियाँ थी। मौजूदा उपग्रह के लिए प्रतिस्थापन रणनीति में कमियों का परिणाम परिचालन नेटवर्क में निष्क्रियता के रूप में हुआ। इस प्रकार, एडुसैट के कार्यान्वयन के उद्देश्यों को उसके जीवन के अंत तक भी पूर्ण रूप से पूरा पाया नहीं जा सका

(पैराग्राफ 3.1)

जीनोमिक्स एवं एकीकृत जीवविज्ञान संस्थान द्वारा 'जीनोमिक्स अनुप्रयोग केन्द्र' की स्थापना हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी

जीनोमिक्स एवं एकीकृत जीवविज्ञान संस्थान (आई.जी.आई.बी.) ने जीनोमिक अनुप्रयोग केन्द्र (टी.सी.जी.ए.) की स्थापना के लिए एक निजी साझीदार, आणविक चिकित्सा संस्थान (आई.एम.एम.) के साथ एक समझौता किया। आई.जी.आई.बी. ने निजी साझेदार का चयन करने से पूर्व यथोचित प्रयास नहीं किये। आई.एम.एम. के साथ समझौते में सरकार के हितों की सुरक्षा हेतु पर्याप्त प्रावधान नहीं थे। टी.सी.जी.ए. आत्मनिर्भरता हासिल नहीं कर सका जैसाकि पूर्वकल्पित था। इसकी सेवाओं हेतु मूल्य निर्धारण नीति अलाभकर थी। टी.सी.जी.ए. की वित्तीय प्रथाओं में निजी साझेदार के पक्ष में झुकाव था, जैसा कि सेवाएं प्रदान करने हेतु कम व्यय प्रभारित करना, टी.सी.जी.ए. से असंबद्ध व्यय इसके लेखाओं में दर्ज करना, आई.जी.आई.बी. के उपकरणों के उपयोग के लिए साझेदार को प्रभारित न करना, से स्पष्ट होता है। टी.सी.जी.ए. हेतु स्थापित निगरानी तंत्र ढ़ीला था। टी.सी.जी.ए. की सलाहकार परिषद से निजी भागीदार द्वारा टी.सी.जी.ए. के संचालन हेतु नीतिगत ढांचा एवं दिशा निर्देश जारी नहीं किये। विश्वविद्यालयों, उद्योगों एवं प्रयोगशाला समूहों के उपयोग हेतु एक साझा संसाधन के रूप में एक राष्ट्रीय अनुसंधान सुविधा बनने का टी.सी.जी.ए. का उद्देश्य काफी हद तक प्राप्त नहीं हो पाया। टी.सी.जी.ए. की गतिविधियाँ, अगस्त 2011 से निलंबित कर दी गयी।

(पैराग्राफ 4.1)

निष्फल व्यय

वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक संघटक इकाई केन्द्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, ऊर्जा प्रभावी कोक ओवन की तकनीक के उपयोग से एक प्रदर्शन/व्यवसायिक संयंत्र को विकसित करने में असफल रहा। परिणामस्वरूप योजना पर उठाये गये ₹ 2.14 करोड़ को व्यय निष्फल प्रतिपादित हुआ।

(पैराग्राफ 4.2)

फरक्का बैराज एवं इसकी सहायकियों की देखरेख

भारतीय सरकार द्वारा 1970 के दौरान निर्मित फरक्का बैराज का रखरखाव अपर्याप्त था। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि 1985 से 2011 के दौरान छः अवसरों पर गेट से संबंधित बड़ी असफलताएँ हुई, मुख्य व्यवस्थाएं जैसे कि गेट के लिए रिमोट चालित व्यवस्था तथा बैरेज नौवहन

लॉक पिछले तीन दशकों से निष्क्रिय था। केन्द्रीय जल आयोग के मानदंडों के अनुसार परियोजन प्रबन्धन के पास पर्याप्त अतिरिक्त गेट्स नहीं थे। फीडर कैनाल के लिए बेड सुरक्षाकार्य तथा रखरखाव कार्य नहीं किये गए। बैराज संरचनाओं के निवारक रखरखाव के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया।

(पैराग्राफ 7.1)

खरीद और अनुबंध प्रबंधन में कमजोरियां

समझौता भंग के कारण प्रतिपूर्ति पर अग्राहय व्यय

नाभिकीय ईंधन परिसर (एन एफ सी) ने सात साल की अवधि के लिए एक निजी फर्म से मैग्नेशियम ग्रेन्यूल्स की एक न्यूनतम मात्रा की खरीद के लिए एक समझौता किया। समझौते में प्राप्ति मात्रा के विचलन को पूरा करने की कोई धारा समाहित नहीं की गई। इसी दौरान अपेक्षाएं मैग्नेशियम ग्रेन्यूल्स से मैग्नेशियम चिप्स में परिवर्तित हो गई। एन एफ सी समझौते को संशोधित नहीं कर सका तथा इस मुददे पर फर्म के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की कार्यवाही को दस्तावेजी रूप देने में भी असफल रहा, जिसका परिणाम स्वरूप समझौता भंग के कारण प्रतिपूर्ति पर ₹ 1.43 करोड़ के परिहार्य व्यय हुआ।

(पैराग्राफ 2.1)

स्थापना की अधिसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन के बिना यंत्र की खरीद में जल्दबाजी

साहा नाभिकीय भौतिकी सस्थान, कोलकाता (एस आइ एन पी) अधिसंरचनात्मक सुविधाओं की कमी के कारण ₹ 38.90 करोड़ के यंत्र को स्थापित नहीं कर सका।

(पैराग्राफ 2.2)

भारतीय प्रशासन समन्वित एक कक्षीय स्लॉट में एक विदेशी उपग्रह की पार्किंग

करते हुए, अंतरिक्ष विभाग ने भारतीय प्रशासन द्वारा समन्वित एक कक्षीय स्लॉट में एक विदेशी निजी उपग्रह सेवा प्रदाता को अपने उपग्रह पार्क करने की अनुमति दी, जो भारतीय उपग्रहों के लिए थी।

(पैराग्राफ 3.2)

माल के विलम्बित बीमा एवं असुरक्षित परिवहन के कारण घाटा

तरल संचालक शक्ति व्यवस्था केन्द्र, महेन्द्रगिरी ने ₹ 6.15 करोड़ की लागत से प्राप्त एक द्रव्यित हाइड्रोजन टैंक के सुरक्षित समुद्री परिवहन को सुनिश्चित नहीं किया गया, परिणामस्वरूप माल को व्यापक क्षति हुई जिसके कारण मरम्मत पर ₹ 1.36 करोड़ का अतिरिक्त व्यय उठाना पड़ा। बीमा कराने में देरी के कारण ₹ 3.39 करोड़ का बीमा दावा भी जीवन बीमा कम्पनी के द्वारा रद्द कर दिया गया।

(पैराग्राफ 3.3)

आवश्यक मंजूरी के बिना कर्मचारियों को वित्तीय लाभ बढ़ाया गया

परिवहन भत्ते का अग्राहय भुगतान

जवाहर लाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र ने अपने कर्मचारियों को, जो कि संस्थान की परिवहन सुविधाओं का उपयोग कर रहे थे, नियमविरूद्ध ₹ 69.93 लाख के परिवहन भत्ते का भुगतान किया

(पैराग्राफ 5.2)

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निरंतर गैर प्राधिकृत पदों का सृजन तथा उन्नयन

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एम ओ ई एफ) के अधीन एक स्वायत्त संस्थान, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) ने वित्त मंत्रालय के आदेशों के उल्लंघन में पदों का सृजन व उन्नयन किया, तदर्थ नियुक्तियों पर दिशा–निर्देशों का पालन नहीं किया और राजकोश पर प्रतिवर्ष ₹ 3.22 करोड़ से अधिक आवर्ती वित्तीय भार वहन किया। सी पी सी बी द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों का निरंतर उल्लंघन, एम ओ ई एफ द्वारा अपने प्रशासनिक क्षेत्र के अधीन इकाइयों पर नियंत्रण की कमी को दिखाता है

(पैराग्राफ 6.1)

पेंशन योजना की अनियमित प्रस्तावना तथा धनराशि का व्ययवर्तन

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र हैदराबाद ने वित्त मंत्रालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अपने कर्मचारियों के लिए एक पेंशन योजना प्रस्तावित की।

(पैराग्राफ 8.1)

आंतरिक नियंत्रण में कमी

कार्यालय परिसर को पट्टे पर लेने पर परिहार्य व्यय

वैज्ञानिक व अभियांत्रिकी अनुसंधान बोर्ड, (एस. ई. आर. बी.) अपने कार्यालय हेतु 22 माह के लिए एक निजी एजेंसी से पट्टे पर लिये गये परिसर को गृहित करने में असफल रहा तथा किराये के रूप में ₹ 8.84 करोड़ का परिहार्य व्यय उठाया।

(पैराग्राफ 5.1)